Ex P-512-A

XVI-(४)221
पु. हिन्दी

फार्म नं. 5

पूरक अंतिम प्रतिवेदन
SUPPLIMENTARY FINAL REPORT
(द.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत)
(Under Section 173 Cr.P.C)

पृष्ठ क्रमांक– ....

*न्यायालयः– माननीय विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्र0नि0अधि0 1988 रायपुर।

1 *जिला रायपुर *थाना ईओडब्ल्यु/एसीबी *वर्ष.2015 *प्र.सू.प.क्र 09/2015 *दिनांक 12.02.2015 2 चालान (चार्जशीट)/पूरक अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा/खारिजी)क्र0 26–A/2015 *दिनांक 26/11/2018

4. *(i) विधान...भारतीय दण्ड विधान धाराएं 109,120–बी,409,420

*(ii) विधान --"--.. धाराएं...--"--..

*(iii) विधान --"--.. धाराएं...--"--..

*(iv) अन्य विधान एवं धाराएं पी0सी0 एक्ट 1988 धाराएं–13(1)डी सहपठित धारा 13(2) एवं 11

5 *अंतिम प्रतिवेदन का प्रकार :पूरक चालान/अदमपता/अघटित/साक्ष्य का अभाव(जो लागू हो उसे सही चिन्ह लगावें)

6 *यदि अपराध अघटित हो तो कारणःझूठी रिपोर्ट/तथ्यात्मक त्रुटि/कानूनी त्रुटि/अहस्तक्षेप योग्य/दीवानी प्रकृति

7 *अंतिम प्रतिवेदन मौलिक/पूरक

8 अनुसंधानकर्ताः

क्र.–01 नाम–एस0डी0 देवस्थले पद– निरीक्षक नम्बर(यदि है)......

9 (अ) अभियोगी/सूचनाकर्ता का नाम– शासन कि ओर से रामकृष्ण दुबे, पता–एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर।
(ब)पिता/पति/पालक का नाम..
पता–...

10 (अ) सूचनाकर्ता/अभियोगी को प्रकरण का नतीजा सूचित करने का दिनांक––27/11/2018

11 अनुसंधान के दौरान प्राप्त/जप्त की गई सम्पत्ति/वस्तुओं/अभिलेखों का विवरण जिस पर साक्ष्य की दृष्टि से विश्वास किया गया है:–(आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

क्र.	संपत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत	थाने के जप्ती माल रजिस्टर का नंबर	कब किसके व कहां प्राप्त/जप्त	निराकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अतिरिक्त जप्त संपत्ति की सूची पथक से संलग्न है।

Scanned with CamScanner

11– जप्ती संपत्ति की सूची

थाना– ई0ओ0डब्ल्यू/ए0सी0बी0 रायपुर
जिला–रायपुर छ0ग0
अपराध कमांक 09/2015
धारा–11, 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) पी0सी0 एक्ट 1988 एवं धारा 109, 120–बी, 409, 420 भा0द0वि0

क0	जप्त संपत्ति की विवरण	अनुमानित कीमत	थाना के जप्ती माल रजिस्टर का नंबर	कब, किससे व कहां प्राप्त/जप्त	निराकरण
1	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल –2015/पी – 805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें कॉपी ऑफ एक्जिबिट लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
2	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल – 2015/पी – 805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट पीडी – 1 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
3	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल – 2015/पी – 805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट पीडी –2 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
4	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी – 805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी –1 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
5	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल – 2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी –2 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय

Scanned with CamScanner

	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल –2015 / पी – 805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी –3 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
7	01 खाकी रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी – 805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी – 4 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
8	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी –805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–5 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
9	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी –805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–6 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
10	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी –805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–7 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
11	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी –805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–8 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
12	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी.जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015 / पी –805 / एफआईआर नंबर 09 / 2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–9 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल., सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय

Scanned with CamScanner

	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–10 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
14	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–11 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
15	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–12 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
16	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–13 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
17	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल–2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–14 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
18	01 पीले रंग का लिफाफा जो ए.डी. जी. ई0ओ0डब्ल्यू को सीलबंद प्रेषित है नंबर सीएफएसएल –2015/पी –805/एफआईआर नंबर 09/2015 इसमें एक्जिबिट एम.एस.डी–15 लेख है।	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
19	01 पीले रंग के लिफाफे में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से जप्त 02 नग मोबाईल (डी/32) जप्त मोबाईल दिनांक 12.02.2015	–	–	सी.एफ.एस.एल. , सीबीआई नई दिल्ली से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय

Scanned with CamScanner

	01 पीले रंग के लिफाफे में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से (डी/84) जप्त मोबाईल दिनांक 05.03.2015	–	–	शिवशंकर से जप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
21	1 सफेद लिफाफा में 02 नग मोबाईल जिसमें 01 काले रंग का मोबाईल सैमसंग कंपनी एण्डराईड एवं 01 नग सफेद रंग का मोबाईल nexus कंपनी एण्डराईड	–	–	गिरीश शर्मा से जप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
22	01 खाकी रंग के बंद लिफाफे में 3 नग सी.डी. (सीएएच –37 – 2015 –सी.डी). (सीएएच –37 –2015 – डी.वी.डी. –1) (सीएएच –3 – 2015 –डी.वी.डी.– 2) जो डी – 212 के अनुसार प्राप्त हुई थी तथा 1 खाकी रंग का लिफाफा पूर्व में चार्ट लिस्ट के साथ जप्ती लिस्ट में संलग्न है।	–	–	सीएफएसएल हैदराबाद से प्राप्त	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
23	एक काले रंग का लैपटॉप बैग			गिरीश शर्मा के कार्यालय से	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
24	एक मटमैले रंग का कपड़ा बैग			अरविन्द्र ध्रुव के कार्यालय से	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
25	एक ब्रीफकेश बिना चाबी (खाली)			शिवशंकर भटट के कार्यालय से।	पूरक चालान के साथ पेश न्यायालय
26	एक खाकी रंग का लिफाफा सीलबंद जिसमे CSFL(H) 500/DOC/135/CAH-37/2015, SP ACB रायपुर लिखा हुआ है जिसमें 03 पेन ड्राईव Q1PD, Q2PD एवं Q3PD लिखा है	–	–	–	–

Scanned with CamScanner

11. A- पूरक दस्तावेजों की सूची–:

क्रमांक	दस्तावेज की नाम	पेज	किससे जप्त किया	दस्तावेज क्या सिद्ध करता है
435	ट्रांसपोटेशन बिल, टेलीफोन बिल एवं अन्य मिसलिनियस बिल्स	01–15	गिरीश शर्मा से जप्त	डॉ आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टुटेजा के विभिन्न देयकों के भुगतान को सिद्ध करेगा।
436	छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का पत्र कमांक E-2-4/2015.1/2 NAYA RAIPUR DATE- 18-07-2015	10 पेज	छ0ग0 शासन से प्राप्त	डॉ. आलोक शुक्ला एव श्री अनिल टुटेजा के विरूद्ध धारा 197 सी. आर.पी.सी. के अंतगर्त अभियोजन स्वीकृति सिद्ध करेगा।
437	छ0ग0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ0ग0 का पत्र कमांक 1676/प्र.स.विधि/21–क अभि./छ.ग./2016 नया रायपुर दिनांक 29.07.2016	11 पेज	भारत शासन से प्राप्त	डॉ. आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टुटेजा के विरूद्ध भारत सरकार से धारा 19 (1)सी भ्र.नि.अ. के अंतगर्त अभियोजन स्वीकृति आदेश सिद्ध करेगा।

Scanned with CamScanner

चालान किये गये व्यक्तियों की सूची-:

क्र.	आरोपी का नाम	पद	मो0नं0
1	डॉ. आलोक शुक्ला पिता- स्व0 श्री तेजेश चंद्र शुक्ला उम्र-55 वर्ष, पद तत्कालीन पदेन चेयरमेंन छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर निवास- सी/104 देवेंद्र नगर रायपुर	तत्कालीन पदेन चेयरमेंन छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर	94255-07800
2	श्री अनिल टुटेजा पिता श्री एच0एल0 टुटेजा आयु 52 साल पद तत्कालीन प्रबंध संचालक छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर, वर्तमान सचिव छ0ग0 मंत्रालय रायपुर पता-स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस के पास, बैरन बाजार, रायपुर	वर्तमान सचिव छ0ग0 मंत्रालय रायपुर	94252-20158 88179-03300

Scanned with CamScanner

प्रपत्र का नाम

(2) (3)

अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची पृथक से संलग्न है।

12. चालान किये गये **02** अपराधियों का विवरण पृथक से संलग्न है।

13 चालान नहीं किये गये – × अपराधियों / संदेहियों का विवरण पृथक से संलग्न है।

14. अंकित साक्षियों का विवरण पृथक से संलग्न है। जिसका परीक्षण होना है।

15 यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी पाई गई हो तो धारा 182,211 भा.द.वि. के अंतर्गत की गई / या प्रस्तावि
कार्यवाही का विवरण :–

16 प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम :– संलग्न है।

Scanned with CamScanner

16 साक्षियों का विवरणः—

	नाम	नाम पिता / पति / पालक	जन्म दिनांक / वर्ष	व्यवसाय	पता	किस प्रकार की साक्ष्य देगा
	साक्षियों की सूची पृथक से संलग्न है।					
	1. सुब्रत कुमार चौधरी, सीनियर साईटिफिक ऑफिसर, जी.आर. II., असिस्टेंट केमिमल एक्जामिनर CFSL-CBI . न्यू दिल्ली 2. के0 श्रीनिवासन, अंडर सेकेट्री भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रिवान्स एण्ड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एण्ड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली 3. ए.के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव छ0ग0 शासन विधि विधायी कार्य विभाग, छ0ग0 रायपुर					

Scanned with CamScanner

17.घटना का संक्षिप्त विवरण –

नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ शासन की संस्था है, जिसमें एक संचालक मंडल गठित है, जिसका प्रमुख चेयरमेन (अध्यक्ष) है तथा इस संचालक मंडल का सेक्रेटरी नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक होता है। इस संस्था के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रमोशन एवं सेवा से बर्खास्तगी व अन्य दण्ड हेतु शक्तियां नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक एवं संचालक मंडल में निहित हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में चावल उपार्जन, स्पेसीफाईड क्वालिटी का चावल उपार्जन, भण्डारण, परिवहन एवं पीडीएस के माध्यम से वितरण हेतु उसे पीडीएस के दुकानों तक उपलब्ध कराने की जवाबदारी है। इसके अलावा अन्य खाद्यान्न जैसे–गेहूं, चना, दाल, शक्कर, नमक इत्यादि जो राज्य शासन पीडीएस के माध्यम से वितरण कराने का निर्णय लेती है, उक्त खाद्यान्नों के खरीदी, भण्डारण एवं परिवहन की जवाबदारी भी रहती है। इस हेतु टेण्डर के माध्यम से खरीदी किया जाना, क्वालिटी सुनिश्चित करना इत्यादि प्रकियाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम का हेड आफिस रायपुर में स्थित है, जिसमें एमडी बैठते हैं तथा चेयरमेन का भी कक्ष स्थित है। इसके अधीन राज्य के सभी जिलों में जिला प्रबंधक की पदस्थापनाएं हैं, जिनकी अधीनस्थ जिले की विभिन्न गोदामों में उपरोक्त खाद्यान्न का उपार्जन, भण्डारण इत्यादि किया जाता है। जिला प्रबंधक के अधीन क्वालिटी इन्स्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, गोदाम प्रभारी रहता है, जिनका कार्य जिला प्रबंधक के निर्देशन में विभिन्न खाद्यान्नों का संग्रहण एवं भण्डारण करना होता है। सामान्यतः गोदाम प्रभारी, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के होते हैं तथा गोदाम प्रभारी एसडब्ल्यूसी का ही कर्मचारी होता है, जिसका पृथक् संचालक मंडल एवं पृथक् एमडी होता है। घटना अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम एवं स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का एमडी अनिल टुटेजा थे एवं चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला थे। नागरिक आपूर्ति निगम हेड आफिस में विभिन्न कार्यो के दायित्व निर्धारित किये गये हैं जैसे–शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक, पीडीएस, एम.एन. प्रसाद राव, उपार्जन व परिवहन तथा संदीप अग्रवाल, क्वालिटी कक्ष प्रभारी इत्यादि जो कि प्रबंध संचालक के निर्देश पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

चावल उपार्जन की प्रकिया में राईस मिलर्स के कस्टम मिल्ड राईस की क्वालिटी जांच करके उसका भण्डारण करना जिला प्रबंधक एवं उसके अधीनस्थ क्वालिटी इन्स्पेक्टर/टेक्निकल असिस्टेंट का कार्य होता है। क्वालिटी जांच हेतु हेड क्वार्टर में एक क्वालिटी कक्ष है, जिसके प्रभारी अधिकारी प्रबंधक संचालक के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस क्वालिटी कक्ष में पदस्थ अधिकारियो का कार्य फील्ड में जाकर विभिन्न सैम्पलों की जांच कर फील्ड अधिकारियों द्वारा लिये जा रहे चावल की क्वालिटी पैमानों के आधार पर सही है अथवा नहीं, इसकी जांच कर प्रबंध संचालक को रिपोर्ट देना है।

नागरिक आपूर्ति निगम में उपरोक्त कार्य व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण की पूर्ण जवाबदारी विभागाध्यक्ष होने के कारण प्रबंध संचालक की है। जबकि पॉलिसी एवं अन्य मुद्दे पर प्रबंध संचालक की प्रस्तुति पर संचालक मंडल के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

एन्टी करप्शन ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर छ.ग. जिसको अग्रिम प्रस्तरों में "नान" उल्लेखित किया गया है, में चावल उपार्जन, परिवहन व अन्य खाद्यान्नों के संग्रहण व वितरण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें संगठित रूप से ऊपर से लेकर नीचे फील्ड स्तर तक के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। सूत्र सूचना के गोपनीय सत्यापन की जांच में उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य पाई गई। जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि नान के उच्चाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें दिये गये दायित्वों व अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक्रमण व दुरूपयोग कर राज्य में चावल उपार्जन व उसके परिवहन जैसे महत्वूपर्ण कार्यो में राईस मिलर्स पर अनुचित दबाव डालकर करोड़ों रूपयों की उगाही एवं वसूली की जा रही है एवं भ्रष्टाचार का यह पूरा सिस्टम सुनियोजित व अनाधिकृत रूप से अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से मोबाईल

Scanned with CamScanner

व टेलीफोन के द्वारा चलाया जाता है। इसलिये यह आवश्यक था कि संगठित भ्रष्टाचार के इस रैकेट के विरूद्ध विधिवत साक्ष्य एकत्र कर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाए। अतः जांच अधिकारी के द्वारा इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल टेलीफोन इंटरसेप्शन में लिये जाने का विधिवत अनुरोध किया गया, जिन्हें नियमानुसार इंटरसेप्शन में रखा गया। सूत्र सत्यापन के दौरान ही इंटरसेप्शन व विश्वस्त सूत्र के माध्यम से दिनांक 11.02.2015 को अचानक सूचना प्राप्त हुई कि नान मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक शिवशंकर भट्‌ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविंद ध्रुव को 20 लाख रूपये लेकर पीए टू एमडी गिरीश शर्मा को 1 घंटे के भीतर देने के लिये कहा गया है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने की परिस्थितिजन्य बाध्यता के कारण दिनांक 12.02.2015 को अपराध कमांक 09/2015 अंतर्गत धारा 13 (1) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 120-बी, 109 भादवि के तहत आरोपी शिवशंकर भट्‌ट एवं अन्य 26 के विरूद्ध विधिवत पंजीबद्ध किया गया। इसी तरह उगाही के अन्य पैसों का भी वितरण तुरंत ही किये जाने की सूचना थी, अतएव उक्त परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक था। चूँकि सक्षम न्यायालय से विधि अनुरूप सर्च वारंट लिये जाने की प्रकिया में विलंब होता एवं इस प्रकिया में अवैध रकम अफरा-तफरी होकर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाते, इसलिये अपराध पंजीबद्ध कर बिना सर्च वारंट प्राप्त किये तत्काल रकम बरामदगी की कार्यवाही आवश्यक होने से धारा 165 द.प्र.सं. के तहत तलाशियॉ ली गईं।

इस प्रकिया में सर्वप्रथम तेलीबांधा अवंति विहार स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय में छापा मारा गया। छापे के दौरान एमडी अनिल टूटेजा के पीए गिरीश शर्मा के कक्ष (एमडी के कक्ष से लगा हुआ) से 20 लाख रूपये नगद एवं उसके पास से एक पेन ड्राईव जप्त की गई। गिरीश शर्मा ने पूछताछ के दौरान 02 स्वतंत्र साक्षियों (राजपत्रित अधिकारी) की उपस्थिति में तात्कालिक खुलासा किया कि उक्त राशि उसे कुछ देर पहले ही एमडी के निर्देश पर प्रबंधक शिवशंकर भट्‌ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविंद ध्रुव के माध्यम से उसके पास भिजवायी गई थी, जिसे वह एमडी के निर्देश पर 10 लाख रूपये चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला को उनके बताये व्यक्ति डॉ. आनंद दुबे, विद्या हॉस्पिटल के पास देने जा रहा था एवं शेष 10 लाख रूपये एमडी के पुत्र यश टूटेजा को मीनाक्षी सेलून ऑफिस में ले जाकर देता। छापे के दौरान ही प्रबंधक, पीडीएस शिवशंकर भट्‌ट से उसके कार्यालय में फाईलों में बांधे गये कुल 1,62,97,500/- रू. एवं 113 पन्नों में जिलों से पैसा कलेक्शन एवं उनके वितरण का कच्चा चिट्‌ठा बरामद हुआ। इसके संबंध में तात्कालिक खुलासा करते हुए शिवशंकर भट्‌ट ने बताया कि यह राशि फील्ड में कार्यरत् जिला प्रबधंकों, क्वालिटी इन्स्पेक्टर इत्यादि के द्वारा चावल उपार्जन व परिवहन के कार्य में अनुचित दबाव व परेशानियां पैदा कर राईस मिलर्स व परिवहन ठेकेदारों से अवैध वसूली कर, इकट्‌ठा कर उपार्जित चावल की मात्रा से 4 रूपये की दर से मुख्यालय भिजवाई गई हैं एवं शेष रकम उन लोगों द्वारा अपने कार्यालय व घरों में रखी गई है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु तत्काल ही फील्ड में पदस्थ जिला प्रबंधकों व क्यू.आई. के कार्यालय व आवासों में एसीबी के गठित दलों द्वारा छापे मारे गये। रेड कार्यवाहियों में कंपनी सेकेटरी संदीप अग्रवाल के कार्यालय से 20,000 रूपये एवं घर से 34,99,500 रूपये, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट मैनेजर देवेन्द्र सिंह कुशवाहा के लॉकर से 1,22,715 रूपये एवं उसके घर से 5,60,000रूपये, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट मैनेजर राम फूल पाठक के लॉकर से 4,12,000 रूपये व उसके घर से 7,75,000 रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी सुधीर कुमार भोले के घर से 7,25,000 रूपये बरामद हुआ।

इसी कम में विभिन्न मैदानी अधिकारियों शाखा प्रबंधक, भण्डार गृह निगम बालोद दिलीप कुमार शर्मा के कार्यालय से 80,720 रूपये एवं उसके निवास से 22,96,150 रूपये, जिला प्रबंधक धमतरी टी.डी.हरचंदानी के कार्यालय से 3,40,000 एवं उसके घर से 50,000 रूपये, जिला प्रबंधक बिलासपुर कौशल किशोर यदु के साले के लाकर से 12,35,000 रूपये एवं मां के लॉकर से 11,00,000 रूपये (साले व मां के लाकर की चाबी इसके आधिपत्य में मिलने से स्पष्ट है कि यह लाकर इसके द्वारा ही संचालित किया जाता था) व उसके घर से 1,63,500/- रूपये, जिला प्रबंधक सूरजपुर रविन्द्र नाथ सिंह के घर से 7,16,080 रूपये, क्वालिटी इंस्पेक्टर केशलुर सतीश कैवर्त के निवास से

Scanned with CamScanner

1,50,000 रूपये एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक रायगढ़ क्षीरसागर पटेल के निवास से 2,47,800 रूपये एवं अनेको स्थानों पर प्रापर्टी के दस्तावेज एवं जेवरात आदि भारी मात्रा में बरामद हुए। आरोपियों द्वारा तत्समय समाधानकारक उत्तर नहीं दिये जाने से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि बरामद रकम उपरोक्त लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के तहत वसूली गई अवैध राशि का ही एक हिस्सा था। इस प्रकार जिला प्रबंधकों व क्यू.आई. के उनके कार्यालय व आवासों से जो निगरानी में थे, एक ही समय में कुल 3,43,96,965/– रू. (तीन करोड तिरालिस लाख छियानवे हजार नौ सौ पैंसठ रू.) नगद राशि, बहुमूल्य वस्तुयें एवं इसके साथ ही इनके घर से असमानुपातिक संपत्तियां तथा दस्तावेज जप्त हुए हैं। जिनकी व्यक्तिवार जप्ती व इन्वेन्ट्री तैयार की गई। नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय एवं फील्ड के जिला प्रबधंकों, क्यू.आई. के कार्यालयों एवं उनके घरों में छापे की कार्यवाही के पश्चात् सभी अंश विवेचकों द्वारा अपनी–अपनी कार्यवाही विवेचना रिपोर्ट मय जप्ती, इन्वेन्ट्री इत्यादि के मुख्यालय में मुख्य विवेचक को सौंपी गई। कुछ जिला प्रबंधकों व क्वालिटी इन्स्पेक्टर से जप्त अवैध रकम की वसूली के संबंध में उनकी स्वयं की लिखावट में लिखे गये हिसाब जो पर्चियों एवं डायरियों में था, उन्हें भी जप्त किया गया है। सूत्र सत्यापन के दौरान मोबाईल इंटरसेप्शन में आये तथ्यों के आधार पर जिन–जिन जिला प्रबंधक, क्वालिटी इन्स्पेक्टर, गोदाम प्रभारी, टेक्निकल असिस्टेंट एवं नान मुख्यालय के अधिकारियों के विरूद्ध इस अवैध वसूली की जानकारी प्राप्त हुई थी, उन्हें ही जांच के दायरे में लेकर यह कार्यवाही की गई।

नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय एवं जिला प्रबंधक कार्यालयों में चावल उपार्जन, अन्य खाद्यान्न सामग्रियों के संग्रहण व वितरण की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा क्वालिटी अनियमितताओं तथा लगने वाले अनिश्चित अवधि इत्यादि की आड़ में उत्पन्न की जा सकने वाली परेशानियों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव के कारण राइस मिलर मजबूरी में अवैध राशि अपना चावल उपार्जित/स्वीकृत कराने के लिए देने हेतु विवश होता है। जिसकी वह शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसी क्षेत्र एवं उसी संस्था के साथ भविष्य में भी काम करना है, इसलिए इस तरह की अवैध वसूली की व्यवस्था नान में स्थापित हुई है। जिसके प्रतिफल में फील्ड स्तर से अवैध राशि वसूली की जाती है, जिसे नान मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है तथा इसका संचालन एमडी अनिल टुटेजा का विश्वस्त अधिकारी शिवशंकर भट्ट करता है। इसके अलावा प्रबंध संचालक के माध्यम से ट्रांसपोटर्स को भी परिवहन का ठेका दिया जाता है तथा गोदामों से अनावश्यक चावल मूव्हमेंट कराके गोदामों में जगह बनाकर क्षेत्र विशेष के राइस मिलर को उपकृत करने इत्यादि से भी भारी मात्रा में अवैध वसूली की जाती है।

प्रकरण की विवेचना में नान के संदेही अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अपने कर्तव्य निष्पादन के दौरान अपने पदीय कार्यों का साशय लोप करते हुए भ्रष्ट तंत्र स्थापित कर अवैध वसूली करने, अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग करने एवं शासन को आर्थिक क्षति कारित करने के पुष्टिकारक साक्ष्य पाये गये हैं। जिसका आरोपवार विश्लेषण निम्नानुसार है :–

<u>आरोप कमांक–1</u>

नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय को खुलेआम, दुस्साहसपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार का अडडा बनाना तथा भारी मात्रा में अवैध वसूली की राशि का नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ही वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में संग्रहण, वितरण एवं कार्यालयीन स्टाफ व शासकीय मशीनरी का भ्रष्टाचार की राशि वसूलने, वितरण करने एवं तत्संबंधी रिकार्ड संधारण कर पद का दुरूपयोग।

चावल उपार्जन की प्रकिया में अनेक नियमों एवं व्यवस्थागत कारणों से, चावल रिजेक्शन की आशंकाओं की आड़ में मैदानी अधिकारियों के निर्णय करने की अपार संभावनाओं से उत्पन्न हो सकने वाली परेशानियों से बचाने एवं राइस मिलर्स के हित में चावल की ग्राहयता को सुगम बनाये रखने की आवश्यकता को आड़ बनाकर नान के मैदानी अधिकारियों द्वारा वसूली की एक व्यवस्था स्थापित होकर प्रचलन में रही तथा उपरोक्त अवैध संगठित भ्रष्टाचार आधारित वसूली की व्यवस्था की सहमति

Scanned with CamScanner

एवं संचालन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर मैदानी अधिकारियों के माध्यम से किया जाना प्रमाणित है।

इसी कड़ी में दिनांक 12.02.2015 को नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में प्रबंध संचालक के पी.ए. से 20 लाख रूपये नगद व प्रबंधक (पी0डी0एस0) के कक्ष से मुख्यालय के अधिकारियों के हिस्से की एक मुश्त राशि 1,62,97,500/– रूपये, प्रबंधक (पी.डी.एस.) के स्टेनो टायपिस्ट जीतराम यादव, के घर से 36,06,000/– नगद की बरामदगी उपरोक्त उल्लेखित संगठित भ्रष्टाचार से प्राप्त राशि का अंश होना प्रमाणित है। उक्त के अलावा मुख्यालय में पदस्थ कंपनी सेकेटरी संदीप अग्रवाल के कार्यालय से 20,000 रूपये एवं घर से 34,99,500 रूपये क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट मैनेजर देवेन्द्र सिंह कुशवाहा के लाकर से 1,22,715 रूपये एवं उसके घर से 5,60,000 रूपये, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट मैनेजर राम फूल पाठक के लाकर से 4,12,000 रूपये व उसके घर से 7,75,000 रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी सुधीर कुमार भोले के घर से 7,25,000 रूपये बरामद हुआ।

इसी कम में विभिन्न मैदानी अधिकारियों शाखा प्रबंधक, भण्डार गृह निगम बालोद दिलीप कुमार शर्मा के कार्यालय से 80,720 रूपये एवं उसके निवास से 22,96,150 रूपये, जिला प्रबंधक धमतरी टी.डी.हरचंदानी के कार्यालय से 3,40,000 एवं उसके घर से 50,000 रूपये, जिला प्रबंधक बिलासपुर कौशल किशोर यदु के साले के लाकर से 12,35,000 रूपये एवं मां के लॉकर से 11,00,000 रूपये (साले व मां के लाकर की चाबी इसके आधिपत्य में मिलने से स्पष्ट है कि यह लाकर इसके द्वारा ही संचालित किया जाता था) व उसके घर से 1,63,500 रूपये, जिला प्रबधक सूरजपुर रविन्द नाथ सिंह के घर से 7,16,080 रूपये, क्वालिटी इंस्पेक्टर केशलूर सतीश कैवर्त के निवास से 1,50,000 रूपये एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक रायगढ़ क्षीरसागर पटेल के निवास से 2,47,800 रूपये बरामद हुआ है।

गौरतलब है कि छापे के दौरान प्रबंधक, पीडीएस शिवशंकर भट्‌ट से जप्त हुई रकम कुल 1,62,97,500/– रू. उसके कार्यालय के फाईलों में बांधे हुए पाये गये एवं 113 पन्नों में जिलों से पैसा कलेक्शन एवं उनके वितरण का हिसाब बरामद हुआ। जप्त अवैध रकम की वसूली के संबंध में पर्चियों एवं डायरियों में हिसाब रखा जाता था, जोकि विवेचना के दौरान जप्त हुआ है, वह हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट से प्रमाणित है।

इस प्रकार आरोपियों डॉ0 आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, शिवशंकर भट्‌ट, टीकमदास हरचंदानी, क्षीर सागर पटेल, सतीश कुमार कैवर्त्य, कौशल किशोर यदु, संदीप अग्रवाल, सुधीर कुमार भोले, दिलीप कुमार शर्मा, रविन्द्र नाथ सिंह, देवेन्द्र सिंह कुशवाह, रामफूल पाठक, अशोक सोनी, जे0पी0 द्विवेदी, धनेश्वर राम एवं एम.एल.साहू पर उपरोक्त आरोप प्रमाणित पाये गये।

<u>आरोप कमांक–2</u>

इस संगठित भ्रष्टाचार में, अवैध उगाही से अर्जित राशि में हिस्सा प्राप्त कर तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा एवं प्रमुख सचिव व पदेन चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला की सीधी संलिप्तता एव उनके द्वारा इस भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना एवं अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करना।

डॉ. आलोक शुक्ला, आईएएस, प्रमुख सचिव, खाद्य व तत्का. पदेन चेयरमेन, नागरिक आपूर्ति निगम एवं अनिल टुटेजा, आईएएस, तत्का. प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम दोनो नान के वरिष्ठतम अधिकारी हैं तथा दोनों का पदीय कर्तव्य था कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यो में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता से समझौता ना हो तथा शासन के नियमों की अनदेखी न हो। यह भी स्थापित है कि प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के कार्यालय में ही भारी मात्रा में संगठित तौर पर मैदानी कार्यालयों से भ्रष्टाचार की राशि का संग्रहण खुलेआम दुस्साहसपूर्वक प्रबंध संचालक के संरक्षण में किया जाना पाया गया। साथ ही तत्का. प्रबंध संचालक के स्वयं की भ्रष्टाचार की अवैध राशि, उनके द्वारा उनके निज सहायक के माध्यम से प्राप्त किया जाना पाया गया तथा इसी निज सहायक के माध्यम से ही डॉ. आलोक शुक्ला को भी भ्रष्टाचार की राशि का हिस्सा पहुंचाया जाता

Scanned with CamScanner

रहा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस संपूर्ण भ्रष्टाचार से दोनों वरिष्ठ अधिकारी पूर्णतया भिज्ञ थे एवं उनकी सहमति तथा संरक्षण में ही यह संगठित भ्रष्टाचार संचालित हो रहा था।

गिरीश शर्मा तत्का. प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा का पीए होकर इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे संपर्क में रहते हुए दोनों के हिस्से की रकम को दोनों अधिकारियों के निर्देशानुसार प्राप्त कर उनके निर्दिष्ट स्थानों तक पहुंचाने के आदेश की तामीली करता था, साथ ही इन दोनों अधिकारियों के आदेश से समय–समय पर इसी भ्रष्टाचार की रकम से उनके निजी व्ययों का भुगतान करता था एवं उसका ब्यौरा भी संधारित कर समय–समय पर दोनों अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता था। दिनांक 12.2.2015 को छापे में नान मुख्यालय में तत्का. एमडी अनिल टुटेजा के निज सहायक गिरीश शर्मा के कब्जे से जप्त 20 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये की राशि अनिल टुटेजा के हिस्से एवं आधिपत्य का होना पाया गया है। छापे में गिरीश शर्मा से जप्त हुई उक्त राशि, एमडी अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार गिरीश शर्मा द्वारा अनिल टुटेजा के लिये प्राप्त किया गया था। अतएव यह राशि यद्यपि गिरीश शर्मा से बरामद हुई है, तथापि वास्तव में यह तत्का. एमडी अनिल टुटेजा के हिस्से एवं आधिपत्य की राशि है, जोकि एमडी के संरक्षण में एवं शिवशंकर भट्ट के नियंत्रण मे हो रही अवैध वसूली में से एमडी के लिए शिवशंकर भट्ट के द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविंद ध्रुव के माध्यम से भिजवाये गये थे। एमडी के हिस्से की राशि एमडी के पीए के पास पहुंचने की पूर्व जानकारी एमडी को थी, जिसे एमडी अनिल टुटेजा के निर्देश पर ही एमडी के पुत्र के पास पहुंचाया जाकर उसका गंतव्य निर्धारित किया गया अर्थात एमडी अनिल टुटेजा को उसके हिस्से की रकम निज सहायक के पास आने की जानकारी थी, इससे यह रकम एमडी अनिल टुटेजा का ही था। पूर्व में भी संगठित भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्र की गई अवैध राशि में से एम.डी. के निज सहायक गिरीश शर्मा द्वारा एम.डी. की मांग पर उनके हिस्से की रकम एमडी अनिल टुटेजा को एवं उसके निर्देश पर उसके परिजनों को नियमित रूप से लगातार अनेकों बार दिया जाना पाया गया है।

इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि डॉ. आलोक शुक्ला, आईएएस, द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान तत्का. एमडी अनिल टुटेजा के निज सहायक गिरीश शर्मा के माध्यम से एमडी के कार्यालय में एकत्रित होने वाले भ्रष्टाचार की अवैध राशि में से अपना हिस्सा लगातार प्राप्त किया गया। दिनांक 12.02.2015 को छापे में नान मुख्यालय से गिरीश शर्मा के पास से जप्त 20 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये की राशि डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से एवं आधिपत्य की राशि होना प्रमाणित है। जोकि डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा गिरीश शर्मा के माध्यम से नान मुख्यालय में एकत्रित अवैध राशि में से मांगे जाने पर गिरीश शर्मा द्वारा डॉ. अलोक शुक्ला के निर्देशानुसार डॉ. आलोक शुक्ला के लिये उपलब्ध कराई गई थी तथा उक्त राशि पूर्व की भांति डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार गिरीश शर्मा द्वारा ही डॉ. आलोक शुक्ला के मित्र डॉ. आंनद दुबे को हस्तांतरित किये जाने की प्रकिया में होना स्थापित तथ्य है। अतएव उक्त राशि यद्यपि गिरीश शर्मा से जप्त हुई है तथापि वास्तव में यह राशि डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से एवं आधिपत्य की होकर आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार एमडी के निज सहायक गिरीश शर्मा को दी जा चुकी थी तथा तत्काल ही उस राशि को आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार उनके मित्र डॉ. आनंद दुबे को हस्तांतरित होना था, जिससे उक्त जप्त रकम डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा मांगी हुई रकम होना स्थापित है।

<u>आरोप कमांक–3</u>

तत्का. एमडी अनिल टुटेजा द्वारा षडयंत्रपूर्वक शासन के निर्देशों के विपरीत विभाग में प्रचलित कार्य विभाजन आदेश को दरकिनार कर बिना किसी यथेष्ट कारण के अंतर्जिला मूव्हमेंट आर्डर जारी कर शासन के साथ छल करते हुए, शासन को भारी आर्थिक क्षति कारित करना तथा प्रायव्हेट पार्टियों के हित में कार्य करते हुए स्वयं लाभ अर्जित करना।

नागरिक आपूर्ति निगम में शासन के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गोदाम में निश्चित मात्रा में चावल का भण्डारण एवं गोदामों से चावल के मूव्हमेंट बाबत् प्रावधान किये गये हैं। इस निर्देश के अनुसार एक सरप्लस जिले से दूसरे सरप्लस जिले में चावल के स्टाक के परिवहन का निषेध है। कोई भी राइस मिलर हमेशा अपने क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में चावल जमा कराते हैं,

Scanned with CamScanner

ताकि उन्हें परिवहन इत्यादि का अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़े एवं साथ ही उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टम मिलिंग कर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करे। इसलिये एमडी अनिल टुटेजा ने क्षेत्र विशेष में राइस मिलर्स की मदद करने के उद्देश्य से साशय अनावश्यक मूव्हमेंट आर्डर जारी कराकर गोदाम खाली कराया गया और राइस मिलर्स को अतिरिक्त चावल जमा कराने का एवं परिवहनकर्ताओं को भी अतिरिक्त परिवहन का अवसर देकर फायदा पहुंचाया गया। इस प्रकार नान के परिवहन मद में अनावश्यक शासकीय धन खर्च कर आर्थिक नुकसान कराया गया और इसके एवज में स्वयं भी अवैध लाभार्जन करना पाया गया।

एमडी अनिल टुटेजा द्वारा उपरोक्त कारणों से कस्टम मिल्ड चावल के अलावा स्टोरेज व स्पेस मैनेजमेंट का कार्य अपने विश्वस्त शिवशंकर भट्ट के माध्यम से कराया जाता था, जबकि कार्य विभाजन आदेश के अनुसार यह शिवशंकर भट्ट के पदीय कर्तव्यों में शामिल नही था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है। इन प्रकरणों में शिवशंकर भट्ट द्वारा अन्य के कार्यक्षेत्रों में दखलन्दाजी करते हुए नोटशीट में प्रस्तावित कर प्रबंध संचालक से अनुमोदन लेकर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई है। इससे स्पष्ट है कि शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने कार्य विभाजन के विपरीत अन्य अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में अधिक्रमण एवं हस्तक्षेप करने की कार्यवाही तत. प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के इच्छानुसार किया गया है, जो इसके द्वारा प्रस्तावित किये गये नोटशीटों में इसके अनुमोदन व हस्ताक्षर होने से प्रमाणित है। कार्य विभाजन **आदेश कमांक स्थापना/ 2014/323 दिनांक 23.04.2014** के अनुसार चावल उपार्जन, प्रदाय केन्द्रों में चावल की उपलब्धता व परिवहन सुनिश्चित करना महाप्रबंधक श्री एम.एम. प्रसाद राव का था, परंतु एमडी अनिल टुटेजा का विश्वासपात्र होने के कारण उसके निर्देश एवं शह पर शिवशंकर भट्ट द्वारा श्री राव के कार्यक्षेत्र में अधिकमण कर नोटशीट प्रस्तावित कर गोदामों में चावल भण्डारण के लिए स्पेस क्रिएट किया गया और क्षेत्र विशेष के राइस मिलर्स एव परिवहनकर्ताओं के लाभ के लिये अवसर उत्पन्न किया गया व इसके एवज में न केवल स्वयं अवैध धनलाभ प्राप्त किया गया, बल्कि अनावश्यक स्पेस क्रिएट कर एवं सरप्लस जिले से सरप्लस जिले में परिवहन कराकर शासन के साथ छल कर, आर्थिक क्षति कारित किया गया। इन दोनो के द्वारा शासन के आदेशों व निर्देशों के विपरीत जाकर चावल मूव्हमेंट के अनेकों आदेश जारी/अनुमोदित किये गये, जिनका कोई औचित्य नहीं था।

इस प्रकार तत्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा द्वारा तत्कालीन जिला प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए सरप्लस जिले से सरप्लस जिले में नियम विरूद्ध चावल परिवहन कराकर अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग किया गया। उपरोक्तानुसार नियम विरूद्ध चावल परिवहन कराकर ट्रांसपोर्टर्स एवं राईस मिलर्स को अवैधानिक तरीके से लाभान्वित किया गया साथ ही शासन को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति कारित की गई।

<u>आरोप कमांक– 4</u>

क्वालिटी कंट्रोल कक्ष के अधिकारियों द्वारा चावल के स्पेसिफिक लाट की पूर्व में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्टो की सत्यता पर संदेह होने से, विवेचना अंतर्गत पुनः गुणवत्ता परीक्षण स्वतंत्र रूप से कराने पर उक्त 252 रिपोर्टस में से 111 रिपोर्टस अमानक पायी गयी, जिसे पूर्व में क्वालिटी कंट्रोल कक्ष द्वारा मानक बताया गया था। इससे स्पष्ट है कि आरोपी लोक सेवकों द्वारा अवैध धनलाभ प्राप्त करने के उददेश्य से षडयंत्रपूर्वक अमानक चावल के मानक चावल होने की असत्य रिपोर्ट तैयार किया गया था।

जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि मुख्यालय स्थित क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारियों संदीप अग्रवाल, आर. पी. पाठक एवं डी. एस. कुशवाहा के द्वारा मुख्यालय में प्रस्तुत की गयी चावल की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में, उपार्जित चावल की क्वालिटी को निर्धारित मानक के अनुरूप होना बताया गया था, जबकि विवेचना के दौरान गुणवत्ता जांच कराने पर कुल 252 सेम्पल में से 111 सेम्पल में चावल की गुणवत्ता अमानक पाई गई। इसी प्रकार उक्त लाट की जांच पर पाया गया कि नान के जिला प्रबंधकों एवं गुणवत्ता जांच निरीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत की गई acceptance & analysis

Scanned with CamScanner

report में अमानक स्तर के चावल को मानक स्तर का होना बताकर, स्वीकार किया गया था, जिसे accept नहीं किया जाना चाहिए था। इस तरह असत्य रिपोर्ट बनाकर एवं उसे सही होना बताकर, उसका उपयोग कर अमानक चावल को स्वीकार कर राइस मिलर्स को फायदा देना प्रमाणित है, जोकि शासन के नियमों के विपरीत होकर पद के दुरूपयोग के साथ–साथ गंभीर अपराधिक षडयंत्र भी है। आरोपी लोक सेवक अधिकारियों द्वारा उपरोक्त के एवज में राईस मिलर्स से अवैध राशि लिया जाना प्रमाणित है।

<u>आरोप कमांक– 5</u>

नमक सप्लायर एजेण्ट एवं स्वयं के लाभ हेतु जानबूझकर नियमों के विपरीत जाकर नमक के अंतर्जिला मूव्हमेंट आर्डर साशय जारी कर अनावश्यक मूव्हमेंट कराया गया तथा कम गेज के पालीथिन एवं कम मानक के आयोडीनयुक्त नमक का भण्डारण एवं कम वजन के नमक पेकेटों का नान के पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा जारी सेग्रीगेशन के आदेश को क्रियान्वित न कर अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर अवैधानिक लाभ प्राप्त कर नागरिक आपूर्ति निगम को आर्थिक क्षति कारित करना एवं पीडीएस के गरीब हितग्राहियों के साथ छल करना।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए नमक के क्रय एवं परिवहन के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थी, जो रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में उक्त निविदा सूरज आयोडाईज कंपनी कारागुड़ा, गुजरात एवं बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिए रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवद, गुजरात के द्वारा प्राप्त की गई थी। मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी, खारागोड़ा, गुजरात एवं मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद, गुजरात द्वारा छत्तीसगढ में नान से संबंधित समस्त कार्य हेतु श्री मुनीश कुमार शाह को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

निविदा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रदायकर्ता को किस–किस जिले में कितनी–कितनी मात्रा में नमक प्रदाय करना है तथा प्रदायकर्ता द्वारा ही निर्धारित रेक पाइंट पर रेक लाकर संबंधित जिला मुख्यालय तक निर्धारित आवंटन अनुसार नमक परिवहन कर गोदामों में छल्ली (स्टेकिंग) लगाकर जमा करें तथा इसका भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है।

विवेचना में प्रमाणित पाया गया कि निगम द्वारा एक जिले से दूसरे जिले को एल.आर.टी. परिवहन के माध्यम से नमक का अतिरिक्त रूप से परिवहन कराकर एल.आर.टी. परिवहनकर्ताओं को अधिक राशि का अनावश्यक भुगतान किया गया है, जबकि जिलेवार आवश्यकता का पूर्व से ही आंकलन कर निर्धारित मात्रा में नमक प्रदायकर्ता से नमक का परिवहन कराना चाहिए था। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा द्वारा अनेकों बार साशय अनावश्यक रूप से एक जिले से दूसरे जिले में एल.आर.टी. के माध्यम से नमक परिवहन की स्वीकृति दी गई तथा परिवहन व्यय का भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई। नमक प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय आदेश का पालन नहीं करने तथा निर्धारित मात्रा में नमक निर्धारित जिले तक नहीं पहुंचाने के कारण नान को अतिरिक्त रूप से एल.आर.टी. परिवहन के माध्यम से दोनों संभागों में 4396.07 मी.टन नमक परिवहन कराना पड़ा, जिस पर नान को 27,56,944/– रूपये अनावश्यक व्यय करना पड़ा एवं नान को हानि उठानी पड़ी। उपरोक्त सभी कार्यों को नान प्रबंधक शिवशंकर भट्ट द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में नमक परिवहन कराने के लिए नोटशीट पर प्रस्तावित किया गया, जिसे प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रदायकर्ता से किसी तरह की पेनाल्टी परिवहन शुल्क आदि की वसूली न कर इसके एवज में एजेण्ट से धनलाभ प्राप्त कर आपराधिक कृत्य किया गया।

वितरण हेतु क्रय किये गये आयोडाइज्ड नमक (अमृत नमक) की गुणवत्ता जांच स्वतंत्र एजेंसी से विधिवत कराये जाने पर नमक के 185 सेम्पल में से 64 सेम्पल अमानक पाये गये। उपरोक्त अमानक सेम्पल शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत होकर किसी भी स्थिति में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थे तथा उसे रिजेक्ट किया जाना था, परंतु उपरोक्त रिजेक्ट किये जाने योग्य अमानक खाद्य सामग्रियों का, नान के गोदामों में पाये जाने से यह प्रमाणित है कि मानक नमक के स्थान पर जानबूझकर अमानक स्तर के नमक को स्वीकार कर नमक सप्लायर के एजेण्ट के माध्यम

Scanned with CamScanner

से भ्रष्टाचार की राशि वसूली गई है, जोकि नमक एजेण्ट द्वारा पैसे पहुंचाये जाने के संबंध में वार्तालाप (ट्रांस्क्रिप्ट साक्ष्य) से भी स्थापित है।

इसी प्रकार उपरोक्त आरोपियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब हितग्राहियों को वितरित किये जाने वाले अमृत नमक (जोकि आयोडीनयुक्त पोषक सप्लीमेंट के रूप में वितरित किया जाता है) की गुणवत्ता से समझौता किया गया। इतना ही नहीं उक्त नमक के पेकिंग की गुणवत्ता से भी समझौता किया गया, जिससे उक्त नमक का पोषक तत्व समाप्त हो गया। {अमृत नमक के पैकिंग मटेरियल (गेज) का अमानक स्तर का होने से आयोडीन का स्तर स्वमेव कम हो जाता है} अमृत नमक के पेकिंग पालीथिन के गेज की विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट में सभी सेम्पल अमानक पाये गये।

इसी प्रकार अनिल टुटेजा के कार्यकाल के दौरान ही भाटापारा में आए गलत मानक वजन के नमक रैक को रिजेक्ट करने के बाद सेग्रीगेसन करके सही वजन का नमक ग्राहय करने एवं शेष गलत वजन के नमक पैकेट को रिजेक्ट करने हेतु दिये गये मुख्यालय के निर्णय एवं आदेश पर एक खानापूर्ति के उददेश्य से एक सेग्रीगेसन हेतु कमेटी बनाई गई, परंतु बिना कोई सेग्रीगेसन की प्रकिया किये अमानक वजन के नमक को स्वीकार कर नमक सप्लायर को अमानक वजन के नमक का पूर्ण भुगतान किया गया, जोकि जप्त नमक बिल SALTB201407001 दिनांक 02.07.2014 दस्तावेजों से स्वमेव प्रमाणित है। इस तरह नमक सप्लायर को 92,46,865/– रूपये का भुगतान मुख्यालय द्वारा ही कर दिया गया तथा इस तरह नमक सप्लायर को उपकृत किया गया।

यह कि तत्का. एमडी अनिल टुटेजा के सीधे नियंत्रण में संचालित इस कार्यालय में नमक खरीदी में नमक एजेण्ट से भारी मात्रा में अवैध राशि वसूल किया गया। नमक में आयोडीन कम होने की स्वीकारोक्ति नमक सप्लायर एजेण्ट द्वारा किये जाने के बावजूद अमानक नमक को स्वीकार किया जाकर उसके एवज में नमक एजेण्ट से अवैध रकम लेना स्पष्ट है, जिसमें तत्का. एमडी अनिल टुटेजा की संलिप्तता एवं संरक्षण स्पष्ट है।

<u>आरोप कमांक–06</u>

लोक सेवक प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने प्रबंध शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध संचालक को न्यस्त राशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग करके उस संपत्ति का व्ययन किया।

विवेचना के दौरान जप्त दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानात से यह स्थापित हुआ हुआ है कि वर्ष 2014–15 धमतरी से रायगढ़ 10800 मि0टन (04 रैक) चावल का अनावश्यक परिवहन कराकर नागरिक आपूर्ति निगम को 1,70,56,000/–रू0, गरियाबंद से बलौदाबाजार 3000 मि0टन का चावल का अनावश्यक परिवहन कराकर नागरिक आपूर्ति निगम को 28,80,000/–, धमतरी से जांजगीर 5400 मि0टन चावल का अनावश्यक परिवहन कराकर नागरिक आपूर्ति निगम को 85,28,000/–रू0, धमतरी से दंतेवाडा एवं बीजापुर 73547 मि0टन चावल का अनावश्यक परिवहन कराकर नागरिक आपूर्ति निगम को 1,12,99,555/–रू0 की आर्थिक क्षति कारित की गई।

इसी प्रकार नमक परिवहन में वर्ष 2014–15 में प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा एवं शिवशंकर भट्ट प्रबंधक पी0डी0एस0 कक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड एवं रमेश साल्ट ट्रेडर्स के अधिकृत एजेंट मुनीश कुमार शाह के साथ आपराधिक षडयंत्र कर जिलो से जिलों मे 4396.07 मि0टन नमक का अनावश्यक परिवहन कराया तथा उक्त परिवहन व्यय की राशि का भुगतान, टेंडर की शर्तो के अनुसार नमक कंपनियों से न कराकर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराया गया तथा नागरिक आपूर्ति निगम को 27,56,994/–रू0 की आर्थिक क्षति कारित की गई। इसी प्रकार भाटापारा रैक पाईट पर मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी से जिस नमक का कय किया गया था उसका अमानक होना पाये जानें पर उसका सेग्रीगेशन (अमानक नमक को पृथक करना) कराकर नमक प्रदाय एजेंसी को उक्त नमक को वापस करनें के आदेश के विरूद्ध उक्त नमक का जिलों मे परिवहन कराया गया तथा 97891/–रू0 की राशि की आर्थिक क्षति नागरिक आपूर्ति निगम को

Scanned with CamScanner

कारित की गई। उक्त नमक को वापस न करते हुए उक्त नमक के क्रय का 92,46,865.31/- रूपये का भुगतान भी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिया गया।

इस प्रकार यह प्रमाणित है कि प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर नागरिक आपूर्ति निगम को लोक निधि से प्राप्त राशि को नियमों का पालन न करते हुये चावल एवं नमक का अनावश्यक परिवहन करवानें मे जानबूझकर बेईमानीपूर्वक परिवहन कराकर परिवहनकर्त्ताओं को लाभ पहुंचाकर तथा निगम एवं शासन के हितों के साथ (जिसका इन्ट्रस्टमेंट है) आपराधिक न्यास भंग करके निगम को 5,18,65,255/- रू0 की राशि की आर्थिक क्षति कारित की गई एवं भ्रष्टाचार कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।

आरोप क्रमांक-07

डॉ. आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा द्वारा लोकसेवक होते हुए बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु (नगद राशि) प्राप्त करना।

विवेचना में यह स्पष्ट है कि गिरीश शर्मा के पास से जप्त दस्तावेज एवं पेन ड्राइव में डॉ. आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने का उल्लेख है, जोकि डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देश पर उसके स्वयं के द्वारा एवं डॉ. आलोक शुक्ला के खास कर्मचारी संतोष तिवारी के माध्यम से किये गये हैं । इन दोनों के मौखिक कथन साक्ष्य एवं विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि उक्त व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान भी नान मुख्यालय में एकत्रित हो रहे अवैध राशि से किये गये थे तथा इस हेतु डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा स्वयं के वैध स्त्रोतों से प्राप्त कोई भी राशि कभी भी गिरीश शर्मा को हस्तांरित नहीं किया गया था। उक्त अनेक खर्चों में से 95,500/- रूपये का खर्च डॉ0 आलोक शुक्ला द्वारा आईएएस आफिसर्स एसोसियेशन के आजीवन सदस्यता शुल्क हेतु जमा कराये गये हैं। इस हेतु एक ही दिन में 05 टुकड़ों में बांटकर नान के लेखाधिकारी धुरंधर के भृत्य परमेश्वर के माध्यम से इसी अवैध वसूली की राशि से बनवाये गये हैं। उक्त 05 ड्राप्ट बनवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि 20 हजार से कम की राशि में पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। 95,500 रूपये का एक बैंक ड्राप्ट बनवाने पर डॉ. आलोक शुक्ला के पैनकार्ड का उल्लेख करने की नियमानुसार बाध्यता होने से, उपरोक्त से आयकर विभाग के नजर में आने से बचने के लिये 05 ड्राप्ट एक ही दिन में 05 टुकड़ों में बैंक ड्राप्ट बनवाकर अवैध वसूली की राशि का अपने उददेश्य की पूर्ति करने से भ्रष्टाचार की राशि के उपयोग का दुराशय कर मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त किया जाना प्रमाणित है।

इसी प्रकार गिरीश शर्मा से जप्त पैन ड्राइव में एम.डी. अनिल टुटेजा द्वारा भी अन्य और कई अवैध वसूली की राशियां प्राप्त की गई हैं, जोकि गिरीश शर्मा के पास रखायी गई थीं तथा उक्त राशि से अनिल टुटेजा द्वारा किये गये उपभोग का विवरण भी उल्लेखित है। उक्त विवरण में अनिल टुटेजा द्वारा 05 लाख रूपये की राशि 3.8.2014 एवं 04.08.2014 को बिलासपुर जाते समय गिरीश शर्मा से प्राप्त की गई थी, जिसकी पुष्टि अनिल टुटेजा के उस दिन के मोबाइल लोकेशन से होती है। मोबाइल लोकेशन की पुष्टि सीडीआर से होती है। इसी प्रकार 60 लाख रूप्ये दिनांक 7.8.2014 को सौरभ नामक व्यक्ति, जोकि अनिल टुटेजा के पारिवारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का पार्टनर है, को 20 लाख रूपये अनिल टुटेजा के घर पर दिये एवं किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति राजू को छत्तीसगढ क्लब के पास दिये गये, जिसे गिरीश शर्मा नहीं पहचानता है। इस तरह से जप्त पैन ड्राइव में उल्लेखित रिकार्ड मात्र से प्रमाणित है कि अनिल टुटेजा द्वारा कुल **2,21,94,000/-** की अवैध नगद राशि जून **2014** से फरवरी **2015** के बीच में प्राप्त की गई है।

प्रकरण के आरोपियों के विरूद्ध पाये गये प्रमाणित साक्ष्य :-

1- डॉ. आलोक शुक्ला, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, खाद्य एवं चेयरमेन, नान दिनांक 01.07.2014 से कार्यवाही दिनांक 12.02.2015 तक पदस्थ थे तथा एक लोक सेवक थे। संगठित भ्रष्टाचार में निम्न साक्ष्य के आधार पर डॉ. आलोक शुक्ला आरोपी पाये गये हैं :-

Scanned with CamScanner

डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा नान मुख्यालय में संगठित भ्रष्टाचार एवं मैदानी कार्यालय से एकत्रित की जा रही अवैध राशि में से अपना हिस्सा नान एमडी के पीए गिरीश शर्मा के माध्यम से मांग प्रस्तुत कर लिया जाता रहा है एवं उक्त अवैध वसूली की राशि को गिरीश शर्मा के माध्यम से स्वयं प्राप्त किया जाता था एवं अपने विश्वस्त डॉ. आनंद दुबे के पास रखवाया जाता था। दिनांक 11, 12 एवं 13 फरवरी 2015 में डॉ. आलोक शुक्ला का वार्तालाप गिरीश शर्मा एवं डॉ. आनंद दुबे तथा गिरीश शर्मा व डॉ. आनंद दुबे की बातचीत से प्रमाणित है। उपरोक्त वार्तालाप से स्पष्ट है कि डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा पैसे की मांग की गई तथा गिरीश शर्मा द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करके उसे डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार डॉ. आनंद दुबे के पास पहुंचाया जाना था।

उक्त मांग की पूर्ति नान मुख्यालय में भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली से किया जाना इससे प्रमाणित है कि गिरीश शर्मा एवं डॉ. आलोक शुक्ला के मध्य हुई है, में आलोक शुक्ला के हिस्से की राशि दिल्ली पहुंचाये जाने की चर्चा में **'साहब'** को बताये जाने का उल्लेख गिरीश शर्मा द्वारा किया गया है, जिसका संबंध एमडी अनिल टुटेजा को बताये जाने से है, जिसका खुलासा गिरीश शर्मा के पूरक कथन से होता है।

डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से की मांग की पूर्ति हेतु अवैध राशि की व्यवस्था करने के संबंध में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी को शिवशंकर भट्ट, अरविन्द ध्रुव एवं उसके भतीजे व भाई, अरविन्द ध्रुव एवं गिरीश शर्मा के मध्य हुए वार्तालाप जोकि वाइस ट्रांस्क्रिप्सन से प्रमाणित है। 20 लाख रूपये की राशि चूंकि एमडी के द्वारा शिवशंकर भट्ट को दिये गये निर्देश पर एकत्रित की गई थी, अतएव शिवशंकर भट्ट के पीए अरविन्द ध्रुव से जप्त दस्तावेज में एमडी के नाम पर 20 लाख रूपये दिनांक 12.02.2015 को दिये जाने की प्रविष्टि है। गिरीश शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि डॉ. आलोक शुक्ला एवं एमडी अनिल टुटेजा को चावल उपार्जन से आए अवैध वसूली की राशि मे से एक ही साथ बराबर–बराबर हिस्सा दिया जाता था। दिनांक 12.02.2015 को गिरीश शर्मा से जप्त कुल 20 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये डॉ. आलोक शुक्ला की मांग पूर्ति के थे, जो उनके निर्देशानुसार डॉ. आनंद दुबे के पास पहुंचाया जाना था एवं शेष 10 लाख रूपये अनिल टुटेजा के हिस्से के भी गिरीश शर्मा को प्राप्त हुए थे। अतः गिरीश शर्मा के पास से जप्त 20 लाख रूपये में 10 लाख रूपये डॉ. आलोक शुक्ला एवं 10 लाख रूपये अनिल टुटेजा के स्वामित्व का होना प्रमाणित है और गिरीश शर्मा इन दोनों के उक्त रूपये का वाहक मात्र था। वाइस ट्रांस्क्रिप्ट जिसमें डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा गिरीश शर्मा से दिल्ली भेजे जाने वाले रकम में **बड़े नोट** का उल्लेख करना भी, इसी कड़ी में रकम की अवैध वसूली को स्पष्ट करता है। विवेचना में प्रमाणित है कि उपरोक्त जप्त 20 लाख रूप्ये जो शिवशंकर भट्ट के निर्देश पर अरविन्द ध्रुव द्वारा गिरीश शर्मा को उपलब्ध कराये गये थे, यह राशि कुल 20 लाख रूपये जिला गरियाबंद, धमतरी, कबीरधाम एवं बलौदाबाजार के जिला प्रबंधकों द्वारा अवैध वसूली की राशि में से मुख्यालय का हिस्सा था, जो अरविन्द ध्रुव के पास जमा कराया गया था। उक्त की पुष्टि अरविन्द ध्रुव के पास से जप्त इन जिला प्रबंधकों के हस्तलिखित पर्चियों से होती है।

दिनांक 12 फरवरी को नान कार्यालय में रेड के दौरान डॉ. आलोक शुक्ला का डॉ. आनंद दुबे को फोन कर नान कार्यालय में छापे की जानकारी देना तथा गिरीश शर्मा एवं शिवशंकर भट्ट का पकड़े जाने की सूचना देना तथा इस पर डॉ. आनंद दुबे का "don't worry at all" कहना, प्रमाणित करता है कि रेड के पूर्व गिरीश शर्मा के पास एकत्रित हुई 20 लाख में से 10 लाख रूपये की राशि डॉ. आलोक शुक्ला की थी।

दिनांक 13 फरवरी को डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा डॉ. आनंद दुबे के माध्यम से उक्त राशि हवाला से दिल्ली पहुंचाया जाना था, जोकि वाइस ट्रांस्क्रिप्टस से प्रमाणित है। दिनांक 12 फरवरी 2015 डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से की राशि जप्त हो जाने पर डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा डॉ. आनंद दुबे को वाइस ट्रांस्क्रिप्ट के माध्यम से **'कल का आधा'** राशि दिल्ली भेजने को कहा। उपरोक्त में **'कल' का उपयोग** स्पष्ट करता है कि दिनांक 12.2.2015 को जप्त हुए राशि डॉ. आलोक शुक्ला के थे और डॉ. आनंद दुबे को प्राप्त होने थे। अब दिनांक 13 को मांगे जा रहे **कल का आधा** यानि 5

Scanned with CamScanner

लाख रूपये के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि यह राशि पूर्व से लगातार भ्रष्टाचार से प्राप्त की गई डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से की राशि, जोकि गिरीश शर्मा के द्वारा आलोक शुक्ला के निदेश पर डॉ. आनंद दुबे के पास जमा की जाती रही है, में से था। यह कि पूर्व में यह राशियां डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देश पर डॉ. आंनद दुबे के पास पहुंचाये जाने का प्रमाण गिरीश शर्मा से दिनांक 12.2.2015 को ही जप्त पेन ड्राइव एवं दस्तावेज के परीक्षण रिपोर्ट के आधारों पर होती है, जिसमें कि गिरीश शर्मा द्वारा डॉ. आनंद दुबे एवं डॉ. आलोक शुक्ला को पहुंचाये गये अवैध राशि की प्रविष्टियां दर्ज की गई है, जिसमें राशि देने का दिनांक एवं डॉ. आलोक शुक्ला व गिरीश शर्मा के तथा गिरीश शर्मा एवं डॉ. आनंद दुबे के मध्य हुई बातचीत की तारीखें, प्रविष्टियों की तारीखों से मेल कर रही है तथा उक्त वार्तालापों में अवैध राशियों के संबंध में की गई बातचीत तथा दस्तावेजों में उल्लेखित विवरण में मेल है। जप्त दस्तावेज में डॉ. आलोक शुक्ला का उन्हीं उल्लेखित तारीखों में दिल्ली जाना भी प्रमाणित पाया गया है।

गिरीश शर्मा के पास से जप्त दस्तावेज एवं पेन ड्राइव में डॉ. आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चो का भुगतान करने का उल्लेख है, जोकि डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देश पर उसके स्वयं के द्वारा एवं डॉ. आलोक शुक्ला के खास कर्मचारी संतोष तिवारी के माध्यम से किये गये हैं। इन दोनों के बयानों एवं विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि उक्त व्यक्तिगत खर्चो का भुगतान भी नान मुख्यालय में एकत्रित हो रहे अवैध राशि से किये गये थे तथा इस हेतु डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा स्वयं के वैध स्त्रोतों से प्राप्त कोई भी राशि कभी भी गिरीश शर्मा को हस्तांरित नहीं किया गया था। उक्त अनेक खर्चो में से 95,500/– रूपये का खर्च डॉ0 आलोक शुक्ला द्वारा आईएएस आफिसर्स एसोसियेशन के आजीवन सदस्यता शुल्क हेतु जमा कराये गये हैं। इस हेतु एक ही दिन में एक ही बैंक, एक ही समय, 05 ड्राफ्ट बनवाने में डॉ. आलोक शुक्ला ने बहुत होशियारी से यह कार्य करवाया है, क्योंकि 95,500/– का ड्राफ्ट हाई वैल्यू का होकर उसके लिए पेन नंबर उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही आयकर विभाग के नियम के अनुसार 20 हजार रूपये से अधिक कैस ट्रान्जेक्शन स्वीकार्य नहीं है अतः उपरोक्त दोनों कारणों से यह ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स की निगाह में न आने पाए इसलिए एक ही दिन, एक ही समय, एक ही बैंक, एक ही संस्था के लिए, टुकडों में बांटकर नान के लेखाधिकारी धुरंधर के भृत्य परमेश्वर के माध्यम से इसी अवैध वसूली की राशि से बनवाये गये हैं। उक्त 05 ड्राप्ट बनवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि 20 हजार से कम की राशि में पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। 95,500 रूपये का एक बैंक ड्राप्ट बनवाने पर डॉ. आलोक शुक्ला के पैनकार्ड का उल्लेख करने की नियमानुसार बाध्यता होने से, उपरोक्त से आयकर विभाग के नजर में आने से बचने के लिये 05 एक ही दिन में 05 टुकड़ों में बैंक ड्राप्ट बनवाकर अवैध वसूली की राशि का अपने उददेश्य की पूर्ति करने से भ्रष्टाचार की राशि के उपयोग का दुराशय स्पष्ट करता है।

विवेचना में यह प्रमाणित है कि डॉ. आलोक शुक्ला, डॉ. आनंद दुबे, शिवशंकर भट्ट, गिरीश शर्मा एवं अरविन्द ध्रुव एवं हवाला आपरेटर के मध्य उपरोक्त वार्तालाप जिन नंबरों पर हुआ है, वे नंबर उनके द्वारा ही धारित था तथा उनकी आवाज होना पाया गया है, यद्यपि डॉ. आलोक शुक्ला एवं डॉ. आनंद दूबे ने अपना वाइस सेम्पल देने से इंकार किया है।

गिरीश शर्मा से जप्त पेन ड्राइव के डिटेल तथा उसके मौखिक कथन के अनुसार डॉ. आलोक शुक्ला के लिए लगभग 11,43,000/– रूपये खर्च कराया गया है तथा लगभग 1,51,43,000/–राशि ली गई है।

2– अनिल टुटेजा, आई.ए.एस., एमडी, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर दिनांक 30.05.2014 से दिनांक 16.02.2015 तक पदस्थ रहकर एक लोक सेवक थे।

विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि नान के एमडी (विभागाध्यक्ष) की हैसियत से उनका दायित्व पीडीएस में सप्लाई हेतु खाद्यान्न जैसे शक्कर, चना, गेहूं, दाल, नमक एवं चावल इत्यादि का प्रोक्योरमेंट, भण्डारण एवं वितरण था एवं छत्तीसगढ शासन की वित्तीय संहिता में उल्लेखित नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। विभागाध्यक्ष होते हुए यह उनका दायित्व था कि वे अपने

Scanned with CamScanner

कार्यालयीन संव्यवहार में पूर्ण ईमानदारी एवं सनिष्ठा से स्वयं कार्य करते हुए अपने पद में निहित नियंत्रण शक्तियों से अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख उनसे पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य संपादन कराना सुनिश्चित करते। परंतु अनिल टुटेजा द्वारा ऐसा न कर उन्होंने शिवशंकर भट्ट, जोकि पूर्व में रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो चुका था एवं जो अनिल टुटेजा की जानकारी में भी था, को अपना विश्वस्त बनाते हुए नान मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का एक ऐसा तंत्र (system) स्थापित होने दिया, जिसके माध्यम से करोड़ो रूपये की अवैध वसूली नियमित रूप से मैदानी कार्यालयों द्वारा की जाती रही एवं उसमें से मुख्यालय के अधिकारियों के हिस्से के रूप में एक बड़ी राशि प्रत्येक मैदानी कार्यालय से फोन करके शिवशंकर भट्ट के पास नान मुख्यालय में संग्रहित किया जाने लगा एवं किस कार्यालय से कितनी रकम प्राप्त हुई है, उसका पूर्ण हिसाब रखा जाता रहा। जिस किसी कार्यालय से रकम प्राप्त न होने पर, वहां दबाव बनाकर वसूली की राशि प्राप्त किया जाता रहा। मुख्यालय में एकत्रित उक्त राशि का एक बड़ा भाग एमडी अनिल टुटेजा के निर्देश पर, उनके पीए गिरीश शर्मा के माध्यम से पीएस फूड एवं चेयरमेन नान डॉ.आलोक शुक्ला को भेजा जाता रहा एवं एक अन्य हिस्सा स्वयं अनिल टुटेजा द्वारा प्राप्त किया जाता रहा। शेष राशि को शिवशंकर भट्ट एवं मुख्यालय के अन्य कर्मचारियों में नियमित वितरित किया जाता रहा है। नान मुख्यालय में अवैध वसूली दूरभाष पर खुले आम की जाती रही तथा मैदानी अधिकारी खुले आम बेखौफ होकर नान मुख्यालय में अधिकारियों के पास नियमित पहुंचाते रहे। इस तरह उक्त भ्रष्टाचार से एकत्रित राशि के जिलेवार आवक एवं उसके वितरण का पूर्ण रिकार्ड भी शिवशंकर भट्ट के पीए अरविन्द ध्रुव के पास से जप्त हुआ एवं एमडी के पीए गिरीश शर्मा से जप्त हुआ है, जिसमें एमडी अनिल टुटेजा एवं चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला को भ्रष्टाचार के हिस्से की रकम का विवरण है। बेखौफ एवं संगठित तौर पर इस खुले आम अवैध वसूली संचालित करना, अवैध राशि का वितरण एवं उक्त का व्यवस्थित रिकार्ड नान मुख्यालय में मेंटेन करना तथा उसका नान के एमडी द्वारा नियमित रूप से चेक करना, स्वमेव प्रमाणित करता है कि विभाग प्रमुख अनिल टुटेजा द्वारा इस संपूर्ण भ्रष्टाचार के तंत्र को स्थापित कर उसे संरक्षण दिया था। दिनांक 12.2.2015 को नान मुख्यालय में जहां एमडी एवं शिवशंकर भट्ट का कार्यालय है, में एसीबी/ईओडब्ल्यू की रेड कार्यवाही में शिवशकर भट्ट से 1,62,97,500/– रूपये एवं एमडी अनिल टुटेजा के पीए गिरीश शर्मा, जिसका कक्ष एमडी के कक्ष से लगा हुआ है, के पास से कुल 20 लाख रूपये जप्त हुए, साथ ही निगरानी में रखे गये नान के विभिन्न अधिकारियों के ठिकानों से भारी राशियां, जोकि करोड़ों रूपये में है, जप्त होना उक्त संगठित भ्रष्टाचार एवं संरक्षण का प्रमाण है।

अनिल टुटेजा के उपरोक्त संगठित भ्रष्टाचार में संलिप्तता एवं पद के दुरूपयोग के अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

1– दिनांक 11.2.2015 को डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा गिरीश शर्मा से अपने हिस्से की रकम की मांग करने एवं गिरीश शर्मा द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला से टेलीफोनिक चर्चा **"साहब से पूछ लेता हूँ सर"** से स्पष्ट है कि इस अवैध राशि की व्यवस्था एमडी के निर्देशानुसार किया जाना है। उपरोक्त के अनुकम में शिवशंकर भट्ट के द्वारा अरविन्द ध्रुव के माध्यम से जिलों से वसूलकी गई राशि में से 20 लाख रूपये एमडी को दिये जाने की व्यवस्था कराना, जो राशि 12.2.2015 को जप्त हुई, जिसमें से 10 लाख रूपये एमडी एवं 10 लाख रूपये डॉ. आलोक शुक्ला का होना वाइस ट्रांस्क्रिप्ट एवं अरविन्द ध्रुव से जप्त पर्ची जिसमें एमडी के नाम से दिनांक 12.2.2015 को ही 20 लाख रूपये दिये जाने की प्रविष्टि है, साथ ही अरविन्द ध्रुव के पास जप्त 4 जिलों से आए हुए हस्तलिखित हिसाब की पर्चियों जिनसे भ्रष्टाचार के पैसे की जिलों से वसूली एवं उसके वितरण का पूर्ण नियंत्रण एवं संरक्षण सीधे तौर पर एमडी अनिल टुटेजा का होना प्रमाणित होता है। chain of events से भी यह प्रमाणित है।

2– अनिल टुटेजा एवं उनके पुत्र यश टुटेजा के मध्य दिनांक 12.2.2015 को रेड कार्यवाही के पहले टेलीफोनिक चर्चा, गिरीश शर्मा के द्वारा अनिल टुटेजा के अवैध वसूली के हिस्से की राशि यश टुटेजा को पहुंचाया जाना था। अनिल टुटेजा द्वारा यश टुटेजा को उक्त राशि के उपयोग के संबंध में

Scanned with CamScanner

दिये गये निर्देश से स्पष्ट है कि अनिल टुटेजा दिनांक 12.2.2015 को गिरीश शर्मा के माध्यम से अवैध वसूली रकम यश टुटेजा को भिजवा रहा था।

3– रेड के बाद यश टुटेजा व अनिल टुटेजा के मध्य बातचीत जिसमें 'लायब्रेरी एवं ड्रेसिंग टेबल के सामान को हटाने संबंधी चर्चा की गई है तथा अनिल टुटेजा द्वारा 'लूज वाले को छोड़ दो', '3–4 रहने दो कोई दिक्कत नहीं है', 'और कुछ उधर रखा है, जो ड्रेसिंग टेबल में होगा', '2–4 को रहने दो', 'अंकल के यहां रख दो', 'अभी कोई दिक्कत नहीं है', इत्यादि वाक्यों के उपयोग से स्पष्ट है कि लायब्रेरी एवं ड्रेसिंग टेबल में रखे गये रकम जोकि वैध नहीं होगी इस कारण उसे हटाया गया है। चूंकि अनिल टुटेजा की पत्नी का उन्हीं के निवास में बिजनेस भी है, इसलिए कुछ पैसा छोड़ने में दिक्कत नहीं समझी गई, परंतु उपरोक्त बातचीत से स्पष्ट है कि अवैध लेनदेन की बड़ी राशि जो घर में रखी थी, को ईओडब्ल्यू/एसीबी की किसी रेड की आशंका में अन्यत्र हटा दिया गया है।

4– अनिल टुटेजा के निर्देश पर गिरीश शर्मा द्वारा पूर्व में भी यश टुटेजा को दिनांक 17.1. 2015, 23.1.2015, 29.1.2015 को, 10 लाख, 05 लाख एवं 12 लाख राशियां हस्तांतरित किये है, जोकि गिरीश शर्मा से जप्त पैन ड्राइव, अनिल टुटेजा, गिरीश शर्मा एवं यश टुटेजा के मध्य हुई बातचीत के वाइस ट्रांस्किप्ट एवं गिरीश शर्मा के कथन से प्रमाणित है।

5– गिरीश शर्मा से जप्त पैन ड्राइव में अनिल टुटेजा द्वारा अन्य और कई अवैध वसूली की राशियां प्राप्त की गई हैं, जोकि गिरीश शर्मा के पास रखायी गई थीं तथा उक्त राशि से अनिल टुटेजा द्वारा किये गये उपभोग का विवरण भी उल्लेखित है। उक्त विवरण में अनिल टुटेजा द्वारा 05 लाख रूपये की राशि 3.8.2014 एवं 04.08.2014 को बिलासपुर जाते समय गिरीश शर्मा से प्राप्त की गई थी, जिसकी पुष्टि अनिल टुटेजा के उस दिन के मोबाइल लोकेशन से होती है। मोबाइल लोकेशन की पुष्टि सीडीआर से होती है। इसी प्रकार 60 लाख रूपये में से दिनांक 7.8.2014 को अनिल टुटेजा के पारिवारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पार्टनर सौरभ नामक व्यक्ति को 40 लाख रूपये दिये एवं 20 लाख रूपये अनिल टुटेजा के घर पर राजू नामक व्यक्ति को दिये, जिसे गिरीश शर्मा नहीं पहचानता है। इस तरह से जप्त पैन ड्राइव में उल्लेखित रिकार्ड मात्र से प्रमाणित है कि अनिल टुटेजा द्वारा कुल **2,21,94,000/–** की अवैध नगद राशि **जून 2014** से **फरवरी 2015** के बीच में प्राप्त की गई है।

6– गिरीश शर्मा से जप्त पैन ड्राइव में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अनिल टुटेजा द्वारा खाद्यान्न सप्लाई का काम दिये जाने के एवज में ट्रांसपोर्टर्स एवं रैक लगाने वालों से भारी राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त करना उल्लेखित है। उक्त की पुष्टि गिरीश शर्मा एवं ट्रांसपोर्टर्स के कथन साक्ष्य से होती है। इस कारण से अनिल टुटेजा द्वारा स्वयं के कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश को दरकिनार करते हुए जानवूझकर षडयंत्रपूर्वक, शिवशंकर भट्ट जोकि उपार्जन एवं परिवहन कक्ष का कार्य नहीं देखता था, से अनेकों संबंधित फाइलों में मनमाफिक प्रस्तावना कर फाईल स्वयं के समक्ष प्रस्तुत कराकर अनुमोदित किया एवं स्वयं के हस्ताक्षर से अनकों चावल के मूव्हमेंट आदेश जारी किये, जो शासन के निर्देशों के विपरीत थे, जैसे धमतरी से रायगढ का चावल मूव्हमेंट आदेश कमांक 1449 दिनांक 01.12.2014 के पेज नं0 350 एवं नोटशीट नं0 60, धमतरी से जांजगीर चावल मूव्हमेंट आदेश कमांक 1766 दिनांक 19.01.2015 के पेज नं0 395 एवं नोटशीट नं0 70 धमतरी से बीजापुर एव दंतेवाडा मूव्हमेंट आदेश कमांक 1314 दिनांक 12.11.2014 के पेज नं0 296 एवं नोटशीट नं0 48, गरियावंद से वलौदाबाजार मूव्हमेंट आदेश कमांक 1474 दिनांक 29.01.2014 के पेज नं0 340 एवं नोटशीट नं0 59 तथा बेमेतरा से हथबंद मूव्हमेंट आदेश कमांक 1298 दिनांक 09.02.2015 के पेज नं0 221 एवं नोटशीट नं0 50, 51, 52। विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि उक्त सभी चावल का मूव्हमेंट का कोई वाजिब आधार नहीं था एवं उक्त उल्लेखित सभी जिलों में निर्धारित स्टाक से ज्यादा स्टाक उपलब्ध था एवं इन सभी जिलो में कस्टम मिलिंग राइस की आवक जारी भी थी। उपरोक्त परिस्थितियों में ये आदेश शासन के निर्णय के विपरीत होकर स्वयं के लाभ के लिये ट्रासपोर्टर्स को उपकृत किया गया था एवं नान को कुल 3,97,63,555 रूपये अतिरिक्त अनावश्यक व्यय करना पड़ा

Scanned with CamScanner

एवं इसके फलस्वरूप शासन को भी 03 करोड़ 97 लाख 63 हजार 555 रूपये की आर्थिक क्षति हुई है।

7— इसी तरह एमडी अनिल टुटेजा द्वारा गोडाउन में स्पेस क्रिएट करवाकर राइस मिलर्स को उपकृत करने के एवज में भी राइस मिलर्स से पैसा लिया जाता था। धमतरी में शासन के निर्देशों के विपरीत चावल का अन्य सरप्लस जिलों में मूव्हमेंट अकारण किया जाना भी, धमतरी के राइस मिलर्स को फायदा दिलाने की मंशा से किया गया था, जिसमें एमडी अनिल टुटेजा ने स्वयं भी आर्थिक लाभ लिया था, जोकि मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है।

उपरोक्त कृत्यों के अनुरूप ही एमडी अनिल टुटेजा द्वारा धमतरी से अकलतरा चावल मूव्हमेंट आदेश कमांक 1766 दिनांक 19.01.2015 के पेज नं0 395 एवं नोट शीट नं. 70 जारी किया गया था, जोकि शासन के निर्देशों के विपरीत होकर अकारण किया गया था। उक्त के संबंध में वाइस ट्रांस्क्रिप्सन जो कि तकनीकी सहायक माखीजा, अकलतरा के राइस मिलर दीनदयाल अग्रवाल एवं शिवशंकर भट्ट के मध्य में हुई बातचीतों में धमतरी से अकलतरा चावल मूव्हमेंट कैंसिल करने के लिए 50 हजार रूपये रिश्वत दिये जाने का आफर दिया गया, ताकि अकलतरा गोडाउन का स्पेस धमतरी के चावल से न भरे एवं अकलतरा के राइस मिलर्स के लिये कस्टम मीलिंग का चावल जमा करने के लिए स्पेस बची रहे। शिवशंकर भट्ट द्वारा माखीजा के माध्यम से राइस मिलर को संदेश देने के संकेत दिये गये कि कस्टम मीलिंग चावल उपार्जन की राशि की वसूली की राशि कुछ माह की मुख्यालय तक नहीं भेजे जाने के कारण एमडी (अनिल टुटेजा) अकलतरा के राइस मिलर्स से नाराज हैं। टेलीफोन वार्तालाप निम्नानुसार है "धमतरी से अकलतरा आने वाले चावल का रेक लगा है, उसका डेस्टीनेशन चेंज हो सकता है क्या ? इसके लिये दीनू भाई (अकलतरा का राइस मिलर दीनदयाल) एवं अन्य राइस मिलर्स उसके पास आये थे, जो अकलतरा का रेक केसिंल करने के लिये 50 हजार रूपये देने का आफर किये हैं। शिवशंकर भट्ट के द्वारा माखीजा को बताया गया कि अकलतरा के राइस मिलर्स द्वारा पिछले 4–5 माह के कलेक्शन का पैसा नहीं दिया गया है और अभी अप्रेल मई जून जुलाई 4 माह का क्लियर नहीं हुआ है इस पर एमडी (अनिल टुटेजा) बहुत नाराज है। शिवशंकर भट्ट द्वारा माखीजा को यह भी कहा गया कि राइस मिलर्स को बताओ कि वह जिला प्रबंधक ए.पी.पाण्डे से कहे कि उसके कारण पैसा मुख्यालय न पहुंचने से अकलतरा के राइस मिलर्स की रेपुटेशन खराब हो गई है और मुख्यालय द्वारा अकलतरा के गोदाम में जगह बनाने के बजाय धमतरी से चावल का रेक भेजा जा रहा है, जिससे राइस मिलर्स को नुकसान हो रहा है। तब माखीजा ने भट्ट को पुनः बताया कि अकलतरा में जगह की कमी है यहां चावल की रेक न आये इसके लिए अकलतरा के राइस मिलर्स 50 हजार रूपये देने के लिए तैयार हैं।"

8— विवेचना में अवैध वसूली का प्रमुख स्त्रोत अमानक चावल का उपार्जन पाया गया, जिसकी जांच ब्यूरो द्वारा स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने पर पाया गया कि राज्य के विभिन्न गोदामों से एकत्रित किये गये 252 सेम्पलों में से 111 सेम्पल अमानक स्तर के पाये गये, जो रिजेक्ट किया जाना था। इसी प्रकार मुख्यालय में एमडी के अधीन क्वालिटी कक्ष के द्वारा गोदामों में विभिन्न चावल के लाट की जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उन्हीं चावल के 252 लाट की पुनः जांच कराने पर उपरोक्त में से 111 रिपोर्टे झूठा बनाया जाना पाया गया। इसी प्रकार इन्हीं लाट के राइस मिलर्स के चावल की जांच की गई, जिसमें 252 रिपोर्ट में से 111 acceptance & analysis report गलत पायी गयीं, जिनके आधार पर राइस मिलर्स मार्कफैड से राशि स्वीकृत करवा सके। अनिल टुटेजा विभागाध्यक्ष होकर इन सभी कार्य के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने एवं कराने हेतु जवाबदार थे। जांच में प्रमाणित है कि उक्त क्वालिटी में हेरफेर के कारण उपार्जन प्रकिया से अनिल टुटेजा के संरक्षण में शिवशंकर भट्ट के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध राशि वसूली गयी है। जोकि मुख्यालय व जिला प्रबंधक स्तर पर बनायी गयी झूठी गुणवत्ता रिपोर्टो से अनिल टुटेजा का साशय कार्य लोप प्रमाणित होता है। खराब गुणवत्ता के चावल का उपार्जन जानबूझकर किये जाने की पुष्टि वाइस ट्रांस्क्रिप्ट से प्रमाणित होती है।

Scanned with CamScanner

9— नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अमृत नमक के 1 किलो के स्टेण्डर्ड पैकेट में, जिस पैकेट की मोटाई का गेज 50 माइक्रान निर्धारित है, क्योंकि इससे कम गेज के पैकेट से नमक के आयोडीन का क्षय होता है। नमक में 30 पीपीएम उत्पादन स्तर पर एवं 15 पीपीएम वितरण तक होना चाहिए, यानि कि पब्लिक को 15 पीपीएम आयोडीन युक्त नमक मिलना चाहिए। एमडी अनिल टुटेजा द्वारा नमक सप्लायर को अवैध लाभ के एवज में स्वयं लाभ लेकर उसे अनेकों प्रकार से उपकृत किया गया है। विवेचना में पाया गया है कि नान के गोदाम में उपलब्ध नमक में से विगत 6 माह की अवधि तक के नमक में आयोडीन 15 पीपीएम से कम होकर अमानक पाये गये हैं। इसी के साथ ही पालीथिन के गेज की जांच कराये जाने पर कुल 285 सेम्पल में से 284 सेम्पल अमानक पाये गये हैं।

नमक सप्लायर द्वारा जिला मुख्यालय तक नमक न भेजकर बिना किसी यथेष्ट कारण के जानबूझकर नमक सप्लायर को नमक परिवहन जिला मुख्यालय तक न करने देने की परिस्थितियां बनाकर, उसे नमक परिवहन में कुल बचत कराते हुए कुल 28,54,835/— रूपये का अनुचित आर्थिक लाभ दिया गया है तथा यही राशि नान के द्वारा खर्च करके शासन को कुल 28,54,835/— रूपये की आर्थिक क्षति कारित की गई है।

इसी प्रकार अनिल टुटेजा के कार्यकाल के दौरान ही भाटापारा में आए गलत मानक वजन के नमक रैक को रिजेक्ट करने के बाद सेग्रीगेसन करके सही वजन का नमक ग्राहय करने एवं शेष गलत वजन के नमक पैकेट को रिजेक्ट करने हेतु दिये गये मुख्यालय के निर्णय एवं आदेश पर एक खानापूर्ति के उददेश्य से एक सेग्रीगेसन हेतु कमेटी बनाई गई, परंतु बिना कोई सेग्रीगेसन की प्रक्रिया किये अमानक वजन के नमक को स्वीकार कर नमक सप्लायर को अमानक वजन के नमक का पूर्ण भुगतान किया गया, जोकि जप्त नमक बिल SALTB201407001 दिनांक 02.07.2014 दस्तावेजों के नोटशीट नं0 57 से स्वमेव प्रमाणित है। इस तरह नमक सप्लायर को 92,46,865/— रूपये का भुगतान मुख्यालय द्वारा ही कर दिया गया तथा इस तरह नमक सप्लायर को उपकृत किया गया।

उपरोक्त प्रकार से नमक सप्लायर को विशेष रूप से उपकृत करने के पीछे अनिल टुटेजा द्वारा नमक सप्लायर से समय—समय पर आर्थिक लाभ लिया जाना प्रमाणित हुआ है। वाइस ट्रास्क्रिप्ट दिनांक 24.01.2015 को नमक सप्लायार एजेण्ट मुनीश शाह द्वारा आयोडीन की मात्रा कम होने एवं कम गेज के पालीथिन होने की जानकारी दी गई। इस तरह मुनीश शाह द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति की गई, जो नमक की क्वालिटी में कम्प्रोमाइज में मुख्यालय एवं मुनीश शाह की सहभागिता को प्रमाणित करता है। दिनांक 15.01.2015 को मुनीश शाह एवं त्रिनाथ रेडडी के मध्य हुई बातचीत में मुनीश शाह ने एमडी का हिसाब कर देने की बात कही है तथा इसी अनुक्रम में मुनीश शाह ने अपनी कंपनी से संबंधित किसी मुन्ना से बातचीत में एमडी को 10 लाख रूपये देना बताया है। इसी तरह दिनांक 14.1.2015 को मुनीश शाह द्वारा अपने कर्मचारी शुक्ला से बातचीत में वाइस ट्रांस्क्रिप्ट में एमडी को 04 लाख दिये जाने की प्रविष्टि रिकार्ड में करने हेतु कहा है। नमक सप्लायर से एमडी द्वारा पैसे लिये जाने की पुष्टि अरविन्द ध्रुव से जप्त डायरी दस्तावेज से होती है। अतएव एमडी अनिल टुटेजा द्वारा नमक सप्लायर एजेण्ट से अवैध परितोष प्राप्त करते हुए अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर कर्तव्यों का साशय लोप करना प्रमाणित पाया गया है।

विवेचना में यह प्रमाणित है, कि मोबाईल नं. 94255—07800 चेयरमेन आलोक शुक्ला का, मोबाईल नंबर 94252—05424 प्रबंध संचालक नान अनिल टुटेजा का, मो0नं0—93036—78423, 88179—03346, शिवशंकर भट्ट के, मो0नं0—98261—71941 आर0एन0 सिंह का, मो0नं0—88179—03999, 94077—30210 संदीप अग्रवाल के मो0नं0—94255—18130, के0के0यदु का एवं मो0नं0—93011—93876 मुनीश कुमार शाह का होना पाया गया। विवेचना में यह प्रमाणित है कि, उपरोक्त नंबर इन अधिकारियों द्वारा स्वयं के लिये उपयोग किया जा रहा था, इस संबंध में यह प्रमाण है कि इनके द्वारा मोबाईल सर्विस प्रोवाइडर को जमा कराये गये कस्टमर एप्लीकेशन फार्म में स्वयं का विवरण मय फोटो के प्रस्तुत किया गया है जो सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त कर विवेचना में संलग्न किया गया है, जिसकी पुष्टि मोबाईल सर्विस प्रोवाइडर के नोडल ऑफिसर के कथन से होती

Scanned with CamScanner

है एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी/कर्मचारी ने अपने कथनों में भी यह स्पष्ट किया है कि उपरोक्त मोबाईल नंबर संबंधित अधिकारियों के हैं।

सूत्र सत्यापन के दौरान ही विधिवत इंटरसेप्ट किये गये मोबाईल नंबरों की ऑडियो रिकार्ड को सुनकर गवाहों ने यह प्रमाणित किया है कि यह आवाज आरोपियों की है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के आवाज का नमूना लेकर जांच हेतु विशेषज्ञ को पृथक से भेजा गया है। विवेचना के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य संकलित किया गया। टेलीफोनिक इंटरसेप्शन जो अपराध दर्ज करने से पूर्व लिया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन्सपेक्टर आर.के. दुबे द्वारा सूत्र सत्यापन की जांच रिपोर्ट सही है और जो बातचीत, जिस-जिस व्यक्ति के मध्य हुई है वह जांच रिपोर्ट में सही पाई गई एवं इंटरसेप्शन से प्राप्त एक से अधिक आपराधिक षडयंत्र का भी खुलासा हुआ है।

विवेचना के दौरान संकलित किये गये मौखिक साक्ष्य एवं साक्षियों के 164 सीआरपीसी के कलमबंद बयान व इंटरसेप्शन से यह प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार के इस षडयंत्र में शामिल होकर चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला व एमडी अनिल टुटेजा द्वारा उपरोक्त कारणों से कस्टम मिल्ड चावल के अलावा स्टोरेज व स्पेस मैनेजमेंट का कार्य शिवशंकर भटट के माध्यम से कराया जाता था परन्तु शासन के आदेशों व निर्देशों के विपरीत जाकर चावल के मूव्हमेंट के अनेको आदेश जारी/अनुमोदित किये गये, जिनका कोई औचित्य नहीं था। इससे शासन को भारी आर्थिक क्षति उठाना पड़ा। इसके एवज् में आरोपी लोकसेवकों द्वारा अवैध पारितोष प्राप्त किया गया।

डॉ. आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव, खाद्य व तत्कालीन पदेन चेयरमेन, नागरिक आपूर्ति निगम एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा, दोनों नान के वरिष्टतम अधिकारी थे तथा दोनों का पदीय कर्तव्य था कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यो में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता से समझौता न हो तथा शासन के नियमों की अनदेखी न हो, किन्तु विवेचना में यह प्रमाणित हुआ है कि पदेन चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला व प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के नान कार्यालय में ही भारी मात्रा में संगठित तौर पर मैदानी कार्यालयों से भ्रष्टाचार की राशि का संग्रहण खुलेआम दुस्साहसपूर्वक इन वरिष्टतम अधिकारियों के संरक्षण में करना पाया गया तथा साथ ही अनिल टुटेजा, प्रबंध संचालक के स्वयं की भ्रष्टाचार की अवैध राशि उनके द्वारा अपने निज सहायक गिरीश शर्मा के माध्यम से प्राप्त किया जाना पाया गया तथा इसी निज सहायक के माध्यम से ही डॉ. आलोक शुक्ला को भी भ्रष्टाचार की राशि का हिस्सा पहुंचाया जाता रहा है। विवेचना में यह पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है कि इस सम्पूर्ण भ्रष्टाचार से दोनों वरिष्ठ अधिकारी पूर्णतः भिज्ञ थे एवं उनकी सहमति तथा संरक्षण में ही यह भ्रष्टाचार संचालित हो रहा था। डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के निज सहायक गिरीश शर्मा के माध्यम से एमडी के कार्यालय में एकत्रित होने वाले भ्रष्टाचार की अवैध राशि में से अपना हिस्सा लगातार प्राप्त किया गया। प्रमाणित साक्ष्य है कि दिनांक 12.02.2015 को छापे में नान मुख्यालय से गिरीश शर्मा के पास से जप्त 20 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये की राशि डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से एव आधिपत्य का था, जिसे डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा गिरीश शर्मा के माध्यम से मांगे जाने पर तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार शिवशंकर भट्‌ट के द्वारा उपलब्ध कराया गया था तथा उक्त राशि को डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा घटना दिनांक को निर्देशानुसार गिरीश शर्मा के माध्यम से अपने मित्र डॉ. आनंद दुबे को भिजवाया जाना था।

विवेचना में यह प्रमाणित है कि जप्त पेन ड्राईव व साक्षियों के कथन के अनुसार उपरोक्त भ्रष्टाचार से की गई अवैध वसूली की राशि में से डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा घटना अवधि के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चो के लिये लगभग 11 लाख 43 हजार रूपये भुगतान कराया गया है तथा लगभग 1 करोड़ 51 लाख तिरालिस हजार रूपये अवैध प्रतिफल के रूप से नगद प्राप्त किया गया।

विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा का पीए गिरीश शर्मा, अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला के सीधे सम्पर्क में रहते हुए दोनों के हिस्से की रकम को उनके निर्देशानुसार प्राप्त कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थानों तक पहुंचाने के आदेश की तामीली करता था एवं

Scanned with CamScanner

समय-समय पर इसी भ्रष्टाचार की रकम से इन दोनों अधिकारियों के निजी व्ययों का भुगतान करता था। विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि घटना दिनांक 12.02.2015 को छापे में नान मुख्यालय में तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के निज सहायक गिरीश शर्मा के कब्जे से जप्त 20 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये की राशि अनिल टुटेजा के हिस्से एवं आधिपत्य का होना पाया गया जो कि प्रबंध संचालक के संरक्षण में शिवशंकर भट्ट के नियंत्रण में हो रही अवैध वसूली में से शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविंद ध्रुव के माध्यम से भिजवायी गई थी। प्रमाणित साक्ष्य है कि उक्त राशि एमडी अनिल टुटेजा के निर्देश पर गिरीश शर्मा द्वारा एमडी के पुत्र के पास पहुंचाया जाना था। पूर्व में भी संगठित भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित की गई अवैध राशि में से एमडी की मांग पर उनके हिस्से की रकम स्वयं अनिल टुटेजा को एवं उनके निर्देश पर उनके परिजनों को नियमित रूप से लगातार दिया जाना पाया गया है।

विवेचना में यह प्रमाणित हुआ है कि संगठित भ्रष्टाचार से की गई अवैध वसूली की राशि में से अनिल टुटेजा द्वारा लगभग 2 करोड़ 21 लाख 94 हजार रूपये की राशि जून, 2014 से फरवरी 2015 के बीच अवैध प्रतिफल के रूप में नगद प्राप्त किया गया।

इस प्रकार यह प्रमाणित है कि चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला की सहमति से प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम को लोक निधि से प्राप्त राशि को नियमों का पालन न करते हुये चावल एवं नमक का अनावश्यक परिवहन करवाने में जानबूझकर बेईमानीपूर्वक परिवहन कराकर परिवहनकर्ताओं को लाभ पहुंचाकर तथा निगम एवं शासन के हितों के साथ (जिसका इन्ट्रस्टमेंट है) आपराधिक न्यास भंग करके निगम को 5,18,65,255/- रू0 की राशि की आर्थिक क्षति कारित की गई एवं भ्रष्टाचार कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।

विवेचना के दौरान संकलित किये गये मौखिक साक्ष्य एवं कुछ साक्षियों के 164 सीआरपीसी के कथन से यह प्रमाणित होता है कि अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर इस संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर भ्रष्ट एवं अवैध साधनों से धन संबंधी लाभ प्राप्त कर मैदानी इलाकों में पदस्थ जिला प्रबंधक बिलासपुर के.के. यदु, जिला प्रबंधक सूरजपुर आर.एन. सिंह, जिला प्रबंधक धमतरी टी0डी0 हरचंदानी, जिला प्रबंधक कांकेर अशोक सोनी, जिला प्रबंधक गरियाबंद एम. एल. साहू, जिला प्रबंधक बलौदाबाजार जे.पी. द्विवेदी, जिला प्रबंधक कवीरधाम धनेश्वर राम, क्वालिटी इन्स्पेक्टर जगदलपुर सतीश कैवर्त, टेक्निकल असिस्टेंट क्षीरसागर पटेल, गोदाम प्रभारी बालोद डी.के. शर्मा एवं मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक (पीडीएस) शिवशंकर भट्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल प्रभारी सदीप अग्रवाल, इसके अधीनस्थ सहायक प्रबंधक (क्वालिटी कन्ट्रोल) देवेन्द्र कुशवाहा एवं सहायक प्रबंधक (क्वालिटी कन्ट्रोल) आर.पी. पाठक, मुख्यालय के लेखाअधिकारी सुधीर भोले, प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा, आई.ए.एस., चेयरमेन आलोक शुक्ला, आई.ए.एस. अनुचित रूप से राईस मिलर्स से विभिन्न प्रकार का दबाव डालते हुए अवैध धन की वसूली करते रहे हैं और इस प्रकार इन सभी अभियुक्तगण ने धारा 120-बी आईपीसी सहपठित धारा 11, 13 (1)(a), 13 (1)(d), सहपठित धारा 13 (2) भ.नि.अ. 1988 के अंतर्गत अपराध कारित किये हैं। इसी प्रकार अभियुक्तगण अनिल टुटेजा, शिवशंकर भट्ट एवं मुनीश शाह द्वारा कारित किये गये यह कार्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 120-बी, 409, 420 आईपीसी सहपठित धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दण्डनीय है। चूंकि सदोष लाभ की धनराशि में मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कपनी एवं मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स हलवत में जमा हुई है।

अनुसंधान में सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाया जाता है। आरोपियों में चेयरमेन डॉ. आलोक शुक्ला एवं प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध राज्य शासन से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 19 के तहत भारत सरकार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतएव आरोपीगणों डॉ0 आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टुटेजा के विरूद्ध धारा 120-बी,

Scanned with CamScanner

409, 420 आईपीसी सहपठित धारा 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पूरक अभियोग पत्र न्याय हेतु प्रस्तुत है।

प्रेषित करने का दिनांक—29.11.2018 समय...

प्रेषित प्राप्ति की दिनांक 29/11/2018

हस्ताक्षर थाना प्रभारी

नाम नरेन्द्र बंछोर

पद– निरीक्षक

थाना ईओडब्ल्यू/एसीबी

दिनांक 29/11/2018

समय.......................................

हस्ताक्षर अनुसंधानकर्ता

नामः–एस0डी0 देवस्थले

पदः– निरीक्षक

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर

नम्बर(यदि है)...

समय........

Scanned with CamScanner